

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 30, 2015/कार्तिक 8, 1937	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 132
No. 144]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2015/KARTIKA 8, 1937	[N.C.T.D. No. 132

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2015

सं. फा. 10.(13)/पर्या./2015/6345-6372.—परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगमों, यातायात पुलिस एवं अन्य के साथ पर्यावरण नियंत्रण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) द्वारा 21-10-2015 को एक बैठक ली गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो वाहन कच्ची सब्जियों, दूध, फलों, अनाज ले जाने वाले वाहनों और तेल टैंकों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) से प्रभार मुक्त हो।

जैसा कि, जारी अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या./2015/6167-6189 दिनांक 20-10-2015 के प्रथम अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में रिट याचिका-(सिविल) संख्या 13.29/1985 में वादकालीन आवेदन संख्या 2015 का 345 एवं 2015 का 365 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2015 के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्वारा, "(ख). अनिवार्य वस्तुएं अर्थात् खाद्य सामग्री ले जाने वाले वाहनों और तेल टैंकों पर" का मतलब होगा "(ख). कच्ची सब्जियों, दूध, फलों, अनाज ले जाने वाले वाहनों और तेल टैंकों पर"।

डॉ. अनिल कुमार, विशेष सचिव (पर्यावरण)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 30th October, 2015

No. F12(13)/Env/2015/6345-6372.—In the meeting taken by Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA) with Transport Deptt., GNCTD, Municipal Corporations, Traffic Police & Others on 21.10.2015, it has been decided to exempt the vehicles carrying raw vegetables, fruits, grains, milk and tankers carrying petroleum products from levy of the Environment Compensation Charge.

As such, the last sentence of first para of the Notification No. F.1-(13)/Env/2-15/6167-6189 Dated 20.10.2015 issued in compliance to the order dated 9.10.2015 of Hon'ble Supreme Court in Interlocutory Application No. 345 of 2015 & No. 365 of 2015 in Writ Petition (Civil) No. 13029/1985 "(b) On vehicles carrying essential commodities, that is, food stuffs and oil tankers" will be taken to mean "(b) the vehicles carrying raw vegetables, fruits, grains, milk and tankers carrying petroleum products".

Dr. ANIL KUMAR, Spl. Secy. (Environment)